सेना प्रमुख जनरल नरवणे तीन दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया रवाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सोमवार को तीन दिन की दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी इस यात्रा के दौरान वह द्विपक्षीय सैन्य सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर कोरियाई देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से वार्ता करेंगे।

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कोरिया भारत को सैन्य सामान और हथियारों की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। सेना प्रमुख करीब दो हफ्ते पहले संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की छह दिवसीय अहम यात्रा पर गए थे। उनकी यह यात्रा खाड़ी के दो प्रभावशाली देशों के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दिखाती है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में जनरल नरवणे का देश के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मिलने का कार्यक्रम है।

जनरल नरवणे दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद योजना प्रशासन (डीएपीए) मंत्री से भी मिलेंगे। सेना ने एक बयान में बताया कि सेना प्रमुख भारत–कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार–विमर्श करेंगे। सेना प्रमुख नरवणे गैंगवॉन प्रांत में कोरिया के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर और डेयजोन में एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट (एडीडी) का भी दौरा करेंगे।

जनरल नरवणे पिछले महीने तीन दिन की नेपाल यात्रा पर और अक्तूबर में सेना प्रमुख विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला के साथ म्यांमा की यात्रा पर गए थे।

महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एंजसियों का इस्तेमाल : राउत

मुंबई, 28 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत की पत्नी को एक मामले में तलब किया है, जिसके बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी की है। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेताओं के पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सूची है, जिनके बारे में दावा था कि केंद्रीय जांच एजंसियों के दबाव में वे इस्तीफा दे देंगे।' शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस घटक है।

राउत ने कहा, 'भाजपा के कुछ नेता पिछले एक साल से मुझसे संपर्क कर कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। वे मुझपर दबाव बना रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं।' राउत ने कहा, 'उन्होंने (भाजपा नेताओं ने) मुझसे कहा कि उनके पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सूची है जो कि केंद्रीय जांच एजंसियों के दबाव में इस्तीफा दे देंगे।' राउत ने कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं और भाजपा नेताओं की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा, 'उन सबको नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा।' राउत ने दावा किया कि उनके पास भाजपा के 120 नेताओं की सूची है जिनके खिलाफ धनशोधन मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की गई

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने सरकार की महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है, लेकिन निर्देश दिया है कि इसके डेवलपरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा संरचनाओं को ढहाए जाने के दौरान कोई वायु प्रदूषण न हो।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ ही यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पाने के और करीब आ गई है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने यह निर्णय 17 दिसंबर को हुई एक बैठक में लिया, जिसका विवरण सोमवार को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, एसपीजी बिल्डिंग और उपराष्ट्रपति के एनक्लेव के साथ–साथ साझा केंद्रीय सचिवालय इमारत और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर का विकास या पुनर्विकास शामिल है।

इसने अनुमानित परियोजना लागत को 11,794 करोड़ रुपए से संशोधित करके 13,450 करोड़ रुपए कर दिया है।

हाल के चुनावों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री पर जनविश्वास दर्शाती है : ईरानी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 दिसंबर।

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि 27 सितंबर को कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, बिहार चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों व स्थानीय चुनावों में भाजपा की जीत दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है।

उन्होंने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कांग्रेस यह भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है कि देश के ग्रामीण भागों में लोग भाजपा के विरुद्ध हैं।

ईरानी ने कहा कि लोगों ने इन चुनावों में कांग्रेस को उपयुक्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों को मंजूरी दी थी, तब से लेकर 22 दिसंबर तक भाजपा ने बिहार में विधानसभा चुनाव व 11 राज्यों में उपचुनाव जीते जबकि उसने आठ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में अधिक सीटें जीतीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर को हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने जिला पंचायत की 242 में से 187 सीटें जीतीं, 6,450 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की।

राम मंदिर के लिए तमिलनाडु में धन जुटाने का अभियान चलाएगी विहिप

कोयंबटूर, 28 दिसंबर (भाषा)।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने देश भर में 15 जनवरी से व्यापक संपर्क कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। परिषद के एक शीर्ष पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

विहिप के महासचिव मिलिंद परांदे ने संवाददाताओं को बताया कि मकर संक्रांति पर शुरू हो रहे कार्यक्रम के जरिए परिषद भक्तों को जानकारी देने और उनसे दान लेने के लिए चार लाख गावों में 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगी जिससे वे भी राम मंदिर निर्माण में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि विहिप ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर भक्तों से दान संग्रह के काम की जिम्मेदारी ली है और इसमें करीब एक लाख स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कार्यक्रम के दौरान 10 हजार गांवों में 50 लाख परिवारों से संपर्क किया जाएगा और 5000 शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में करीब 90 हजार स्वयंसेवक जाएंगे। परांदे नेकहा कि मंदिर 360 फुट लंबा, 235 फुट चौड़ा और 161 फुट की ऊंचाई वाला होगा जिसमें तीन मंजिलें और पांच शिखर होंगे। उनके मुताबिक इसे ढाई से तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा।

राम मंदिर पर 1100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान : न्यास अधिकारी

नागपुर, 28 दिसंबर (भाषा)।

अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण पर करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें मुख्य ढांचे का खर्च भी शामिल है और इसके साढ़े तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यह जानकारी परियोजना की देखरेख कर रहे न्यास के कोषाध्यक्ष ने सोमवार को दी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने कहा कि मंदिर की आधारशिला के लिए ढांचा विशेषज्ञ और इंजीनियर योजना बना रहे हैं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के मुख्य ढांचे के निर्माण पर 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है जबकि पूरे परिसर के निर्माण पर '100 करोड़ रुपए से कम का खर्च नहीं आएगा।' संत ने कहा, 'लेकिन ये सब आकलन है।' गिरिजी महाराज ने कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और आइआइटी बंबई, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी के विशेषज्ञ तथा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की के विशेषज्ञ एवं एलएंडटी तथा टाटा समूह के इंजीनियर परिसर के मजबूत आधार की योजना तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मंदिर की आधारशिला के लिए दिए गए विकल्पों पर कल की बैठक (न्यास के) में चर्चा होगी (और अंतिम चयन किया जाएगा)।'

उच्चतम न्यायालय का नया रोस्टर जारी

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पीठ के समक्ष मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिए सोमवार को नए रोस्टर की घोषणा की जोकि शीतकालीन अवकाश के बाद आगामी चार जनवरी से प्रभावी होगा। नए रोस्टर के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और सात वरिष्ठ न्यायाधीश अब जनहित याचिकाओं, पत्र याचिकाओं और सामाजिक न्याय संबंधी मामलों की सुनवाई करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश के अलावा वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव जनहित याचिकाओं और सामाजिक न्याय संबंधी मामलों की सुनवाई करेंगे। जनहित याचिकाओं के अलावा प्रधान न्यायाधीश अवमानना के मामलों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक न्याय और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेंगे।

कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में चार की मौत

पालनपुर (गुजरात), 28 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात के बनासकांठा जिले में भाभर गांव के पास एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए।

भाभर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक प्रवीण अहीर ने बताया कि घटना रविवार रात को उस वक्त हुई जब कार एक मोड़ पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार तीन लोग और कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। उपनिरीक्षक ने बताया, 'दुर्घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दीसा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार दीसा जा रही थी जबकि मोटरसाइकिल सवार मीठा गांव की ओर जा रहा था। मरने वालों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी।'

डाक विभाग
ई–निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (ई), डाक विद्युत प्रभाग, दसवाँ तल, मेघदूत भवन, नई दिल्ली–110001 द्वारा निम्न कार्यों के लिये दो बोली प्रणाली में प्रतिशत दर ई–निविदा आमंत्रित है।

कार्य का नामः दिल्ली आरएमएस, दिल्ली में 2000 क्रि.ग्रा. की क्षमता के मालवाहक लिफ्ट का एसआईटीसी;
एनआईटी सं.: 70/ईई/पीईडी/एनडी/एनआईटी/2020–21 तिथि 28.12.2020
अनुमानित लागतः रु. 36,97,500/–
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 12.01.2021 के 15.00 बजे तक
बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाइट **https://dopcivil.euniwizarde.com** से प्राप्त की जा सकती है।

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.]
सूचना
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक
के समक्ष (उत्तरी क्षेत्र) बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
मेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड ("कंपनी") जिसका पंजीकृत कार्यालय : 4347, फर्स्ट फ्लोर गली नं. 4वी अंसारी रोड नई दिल्ली सेन्ट्रल दिल्ली–110002 में स्थित है
......(याचिकाकर्ता)

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन दाखल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलंगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 18 नवम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेंगे।

कृते की ओर से
मेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
तिथि : 24.12.2020
स्थान : नई दिल्ली
श्री प्रसाद राजेंद्र लेंडवे
निदेशक
(डीआईएन : 07723822)
पता : हाऊस नं. 24 रामवाडी, नंदुरा रोड, मलकापुर, बुलढाणा महाराष्ट्र 443101
मेसर्स इकाशी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड
सीआईएन : U67100DL2020PTC360800
पंजीकृत कार्यालय : 4347, फर्स्ट फ्लोर गली नं. 4वी अंसारी रोड नई दिल्ली सेन्ट्रल दिल्ली– 110002
फोन नं. +91 8055050710
ईमेल आईडी : Contact@finnovationz.com

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष
नई दिल्ली पीठ नई दिल्ली
कंपनी आवेदन सं. सीए–722 (एनडी) ऑफ 2020
से संबंधित
कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 108 (एनडी) ऑफ 2020
कंपनीज अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 – 232 और कंपनीज अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
और
दिनेरो प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ईडन रियेल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एप्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, आइवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉट लाइट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और हिम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के मामले में

दिनेरो प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय एस–557, तीसरा फ्लोर, स्कूल ब्लॉक शकर पुर, नियर मेट्रो स्टेशन दिल्ली –110092 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 1**

ईडन रियेल्टी प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी–11ए, सोमदत्त चैंबर्स–1 5 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली –110066 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 2**

एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय बी–304, तीसरा फ्लोर, अंसल चैंबर्स–1, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 3**

एप्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय केबिन नंबर–17, पहला फ्लोर, 86 मुनीरिका ग्राम, नई दिल्ली –110067 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 4**

आइवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी–11ए, सोमदत्त चैंबर्स–1 भीकाजीकामा प्लेस नई दिल्ली –110066 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 5**

स्पॉट लाइट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय यूजी–11ए, सोमदत्त चैंबर्स–1 5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरणकर्ता/आवेदक कंपनी नं0 6**

हिम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, (यह कंपनी, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और जिनका पंजीकृत कार्यालय बी–304, तीसरा फ्लोर, अंसल चैंबर्स–1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066 में स्थित है।)
.... **हस्तांतरिती/आवेदक कंपनी नं0 7**

एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की जानकारी की सूचना और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली में स्थित, ने अपने आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के साथ पठित 11 नवम्बर, 2020 के माध्यम से दिनेरो प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ईडन रियेल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एप्सलॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, आइवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉट लाइट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और हिम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयर धारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन की योजना में शामिल प्रस्तावित मर्जर पर विचार करने, और यदि जरूरी हुआ, तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक शनिवार, 30 जनवरी, 2021 को दोपहर 01:00 बजे आवेदक कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसके लिए आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं. 3 के संबंधित इक्विटी शेयरधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

कथित योजना की प्रतियां और कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत विवरण आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। बैठक में भाग लेने और वोट देने का पात्र व्यक्ति कथित बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक मतपत्र के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी फार्म आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा कर दिया गया हो।

प्रॉक्सी फार्म आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0 3 के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने कथित शेयरधारकों की बैठक के लिए श्री हिमांशु विज, अधिवक्ता अध्यक्ष और सुश्री स्वरालिपि रॉय, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित योजना, यदि इक्विटी शेयर धारकों की बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.12.2020
हस्ता/–
हिमांशु विज
अधिवक्ता
एलिस इक्विटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आवेदक हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं0. 3 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

(एलएलपी (एलएलपी का गठन) नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसरण में)
एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
सूचना
कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा 4 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
के समक्ष
सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और एलएलपी (एलएलपी का गठन) नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
और
ब्रोटो स्मार्ट कनेक्ट एलएलपी
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **फ्लैट नंबर 21, द पाम्स अपार्टमेंट द्वारका, सेक्टर 6, दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली – 110075** के मामले में
.....आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत आवेदक एलएलपी द्वारा पदनामित साझेदारों द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने हेतु एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के कार्यालय में एक सूचना दाखिल की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

कृते **ब्रोटो स्मार्ट कनेक्ट एलएलपी**
हस्ता./–
दिनांक : 26.12.2020
स्थान : दिल्ली
(मधुर सेठ)
पदनामित साझेदार
डीआईपीआईएन : 08584632

ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल
मुख्य अभियंता का कार्यालय,कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस
टेन्डर रेफरेन्स नं0–BCD/CE/13/Dhanabd /2020-21 दिनांक– 28-12-2020

1	कार्य का नाम	Construction of Compound wall of Agriculture Farm Situated at Saraidhela under PMCH Dhanbad.
2	प्राक्कलित राशि (रू0)	रू0 4,35,88,300.00(रुपये चार करोड़ पैंतीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ)मात्र ।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	11 महीने
4	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	11-01-2021
5	बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि/समय	18-01-2021 के 11.00 AM तक
6	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अभियंता का कार्यालय , कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची।
7	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	9973708817
8	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	9905899979

- किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders

नोडल पदाधिकारी
ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय,
कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग,
लाईन टैंक रोड, रांची
PR 238314 Building(20-21).D

आस्ति की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी–ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400051
शाखा कार्यालयः 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, निकट डेल कैम्पस, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियमावली 8(5) के परन्तु के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सीसीएफआईएल ने एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.06.2014 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के पक्ष में ऋण एसाइन किया है और एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड अचल सम्पत्ति जिसका 19.10.2020 को केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है की, 25.12.2020 तक बैंक के बकाये रु. 90,96,315.65 (रुपये नब्बे लाख छियानबे हजार तीन सौ पन्द्रह एवं पैंसठ पैसे मात्र) तथा वसूली तक भावी प्रयोज्य ब्याज सहित ऋण खाता सं. 15543802 के तहत श्री दिनेश चोटवानी पुत्र श्री कन्हैयाल लाल चोटवानी एवं श्रीमती विभा देवी चोटवानी पत्नी श्री दिनेश चोटवानी से केएमबीएल, प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 22.01.2021 को 12.00 बजे अप. से 02.00 बजे अप. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 27,00,000/– (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,70,000/– (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) होगी तथा केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 21.01.2021 को 7.00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक है।

सम्पत्ति का विवरण : मकान नं. 191 का सम्पूर्ण भाग, माप 195.06 वर्ग मीटर, खसरा नं. 149/8, रामेश्वर पार्क, एक्सटेंशन कॉलोनी, ग्राम परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र., सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : प्लॉट सं. 190, पश्चिम : प्लॉट सं. 192, उत्तर : सर्विस लेन 12 फीट चौड़ी, दक्षिण : 40 फीट चौड़ी सड़क।

जनसामान्य एवं विशेष रूप से कर्जदार ध्यान दें कि यदि यहाँ निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से असफल रहती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी सन्धि के माध्यम से प्रतिभूति हित का प्रवर्तन कर सकते हैं।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसामान्य एवं विशेष रूप से कर्जदार ध्यान दें कि यदि यहाँ निर्धारित नीलामी किसी कारण से असफल हो जाती है तो तो प्रतिभूत क्रेडिटर निजी सन्धि के माध्यम से बिक्री द्वारा प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के लिए रखी आस्तियों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण/वांछनीयता के लिए संविदाकार सम्पर्क करें : श्री राजेन्द्र दहिया (+918448264515), श्री आकाश सक्सेना (+918860001910) श्री सोमेश सुन्दरियाल (+919910563402) तथा श्री विवेक कनौजिया (+919205177091). बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात www.kotak.com तथा/अथवा https://kotakbank.auctiontiger.net में प्रावधानित लिंक https://www.kotak.com/en/bank- auctions.html देखें।

स्थानः नई दिल्ली, **तिथिः** 29.12.2020
अधिकृत प्राधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

DiGiSPICE
डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः 622, 6ठा तल, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली –110025
सीआईएनः L72900DL1986PLC330369
टेलीफोनः 011–41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com वेबसाइटः www.digispice.com

शेयरधारकों हेतु सूचना
इक्विटी शेयरों का आईइपीएफ में स्थानांतरण

यह सूचना विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016, यथा समय यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। उक्त नियम, अन्य विषयों के अतिरिक्त, ऐसे सभी शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में खाते में हस्तांतरित करने के प्रावधान हैं जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों, जिनके लाभांश 7 वर्ष या इससे अधिक समय से अभुगतानित अथवा गैर दावाकृत हैं (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 के लाभांश के संबंध में अभुगतानित अथवा गैर दावाकृत राशि) के शेयरों के हस्तांतरण हेतु नियत तिथि अर्थात् 29 मार्च 2021 के अन्दर, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कार्रवाई आरम्भ करेगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त नियमों के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरण के उद्देश्य से, उन शेयरधारकों द्वारा संघटित मूल प्रमाण पत्र(पत्रों) के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। इस प्रकार निर्गत होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रूप से रद्द हो जायेंगे तथा इसके पश्चात् उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा।

कंपनी ने उन सभी सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर, उक्त नियमों के अंतर्गत, आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित होने वाले हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.digispice.com पर 'इन्वेस्टर रिलेशंस' शीर्षक के अंतर्गत उक्त आईइपीएफ खाते में स्थानांतरण होने वाले ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का पूरा विवरण भी अपलोड किया है।

शेयरधारकों कृपया ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को, संशोधित नियमों के अनुसार, आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैर दावाकृत लाभांश तथा शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी अर्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, को नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारकों द्वारा फॉर्म आईइपीएफ – 5 में ऑनलाइन आवेदन कर के आईइपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में शेयरधारक, मेसर्स एमएएस सर्विस लिमिटेड, (आरटीए) टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– II, नई दिल्ली–110 020, ईमेल आईडीः info@masserv.com टेलीफोन नंबरः 011 – 26387281 या कंपनी के कंपनी सचिव से investors@digispice.com अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उपर्युक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

मंडल के आदेशानुसार
कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(पूर्वतः स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड)
तिथिः 28 दिसम्बर, 2020
स्थानः दिल्ली
एम आर बोथरा
उपाध्यक्ष–कॉर्पोरेट मामलें एवं कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्रो में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार, नई दिल्ली क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबंध (क) के मामले में
तथा
इंजेटीम पॉवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 431, फेज-III, उद्योग विहार, दूसरी मंजिल, पीछे की ओर, गुरुग्राम, हरियामा–122016, भारत पर है
.... याचिकाकर्ता
सूचना
एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''हरियाणा राज्य'' से ''तमिलनाडु राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 03.12.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-24366038, फैक्स : 011-24366039 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से,
इंजेटीम पॉवर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सुखविन्दर पाल सिंह, निदेशक, (डीआईएन : 07623863),
[पता : फ्लैट नं. 3030, डोर नं. : 3080, सेक्टर बी-4, वसन्त कुंज, नई दिल्ली, नई दिल्ली जिला, भारत-110070]
तिथि : 22.12.2020
स्थान : गुरुग्राम

KIRTI INVESTMENTS LIMITED
CIN: L99999MH1974PLC017826
Regd Office: 202, 2nd Floor A- Wing, Bldg. No.3, SIR M.V. Road, Rahul Mittal Industrial Estate, Andheri East Mumbai - 400059
E-mail: kilmumbai@gmail.com; **Website:** www.kirtiinvestments.in

NOTICE

The Members of M/s. Kirti Investments Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Regulation 6(a), 7 and other applicable Regulations of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, and such other applicable laws, rules, regulations and guidelines, as may be applicable, the Board of Directors at its meeting held on December 28, 2020 has considered & approved voluntary delisting of equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited where no exit opportunity needs to be given to the public shareholders and continues to remain listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited which has nationwide trading terminals.

The Company being listed on the Calcutta Stock Exchange Limited, there is no trading in the shares of the Company since past several years. Thus, there is no benefit of liquidity available to the shareholders of the Company. The Company incurs significant cost every year towards listing fee and other statutory compliances.

The Board of Directors, consider that it would be convenient for the Company to remain listed only on Metropolitan Stock Exchange of India Limited as 1,01,40,000 equity shares of Rs.5/- each, representing 46.09% of the paid-up equity share capital of the Company are held by public shareholders comprising of 127 public shareholders.

The Board of Directors, therefore, also considers that it would be in the best interest of the Company, its shareholders and trade associates to delist the equity shares of the Company from CSE and to remain listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited.

For and on Behalf of the Board of Directors
of **Kirti Investments Limited**
Sd/-
Vijay Kumar Puranmal Khowala
Director
DIN: 00377686
Place : Mumbai
Date : 28.12.2020

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK
यमुना विहार शाखा
बी–3/48 ए, यमुना विहार, नई दिल्ली–110053
फोनः 011–22919080/ 22919077, ईमेलः **iob2249@iob.in**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	दोनों सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि
	गारन्टरों का नाम		ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो		धरोहर राशि भुगतान	ईएमडी जमा करने की तिथि
1.	1. जीतेन्द्र सिंह 2. रतेन्द्र सिंह	रु. 1988523.52 (रुपए उन्नीस लाख अठासी हजार पांच सौ तैईस एवं पैसे बावन मात्र)	ए–121, 3रा तल, खसरा नं. 572, विष्णु एन्क्लेव, ग्राम हरसौन ए ब्लॉक के सामने, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201001	सांकेतिक	रु. 2030000/–	30.01.2021
					रु. 2,03,000/–	29.01.2021

जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (1ए) के अंतर्गत 0.75% कर शामिल है।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात www.iob.in (https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype=E-Auction] में दी गई लिंक या https://ibapi.in देखें।
इसे ऊपर वर्णित तिथि के ई–नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों/मार्टगैजनों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना माने।
ईएमडी को जमा करना 30.12.2020 से शुरू होगी।
स्थानः नई दिल्ली, **तिथिः** 28.12.2020
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओरसीज बैंक

www.readwhere.com